बिहार सरकार

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी (NAMAET) के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना)

कृषि विभाग

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के अंतर्गत State Coordinator तथा Gender Coordinator के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के अंतर्गत State Coordinator तथा Gender Coordinator के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियोजन के लिए ऑन–लाईन (On-line) आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आत्मा योजना में State Coordinator तथा Gender Coordinator के रिक्त पद पर आवेदन हेतु विवरण बामेती के वेबसाइट www.bameti.org तथा कृषि विभाग, बिहार के वेबसाइट www.krishi.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। State Coordinator तथा Gender Coordinator के रिक्त पद की विवरणी (वैधानिक योग्यता एवं कार्य अनुभव सहित) निम्न है–

S. No.	Particulars	No. of Post and Categories	Qualifications	Experience
1.	State Coordinator	01 UR	Graduate & Post Graduate in Agriculture with adequate experience of Planning and Coordination.	Minimum 05 years of field experience in Central/ State Govt. Department OR Central/State Govt. sponsored schemes OR Agriculture related autonomous institution of Central/ State Govt.
2.	Gender Coordinator (Women)	01 UR	Graduate & Post Graduate in Agriculture with adequate experience of Planning and Coordination.	Minimum 05 years of field experience (*In gender related work*) in Central/ State Govt. Department OR Central/State Govt. sponsored schemes OR Agriculture related autonomous institution of Central/ State Govt.

2. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता

- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
- उम्र सीमा – दिनांक 31.10.2014 को अधिकतम 37 वर्ष है। बिहार सरकार के द्वारा समय–समय पर प्रदत्त महिला उम्मीदवार के लिए तीन (03) वर्ष की छूट अनुमान्य होगी।
- State Coordinator तथा Gender Coordinator के रिक्त पद के लिये मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 05 वर्ष का प्रक्षेत्र कार्य अनुभव।

3. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति निम्न प्रकार गठित होगी–

सचिव/प्रधान सचिव, कृषि	–	अध्यक्ष
निदेशक कृषि	–	सदस्य
कुलपति रा.कृ.वि. पूसा के प्रतिनिधि	–	सदस्य
कुलपति बि.कृ.वि. सबौर के प्रतिनिधि	–	सदस्य
निदेशक बामेती	–	सदस्य सचिव

- निदेशक, बामेती, बिहार, पटना 'नियोजन प्राधिकार' की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगें।

4. आरक्षण – State Coordinator तथा Gender Coordinator दोनों एकल पद है, अतः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधान वर्तमान नियोजन में लागू नहीं होगें।

5. आवेदन की प्रक्रिया –

- आवेदन ऑन–लाइन ही स्वीकार किया जाएगा।
- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के उपरान्त सभी आवेदकों की सूची तैयार की जायेगी और उसे बामेती के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
- बामेती के वेबसाईट पर प्रकाशित सूची पर कोई भी आवेदक उसके प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर निदेशक, बामेती के समक्ष आपत्ति कर सकता है।
- आपत्ति/दावों पर विचारण के उपरान्त संशोधित सूची के आधार पर आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

6. चयन की प्रक्रिया–

- State Coordinator तथा Gender Coordinator पद नियोजन हेतु साक्षात्कार 20 अंको का होगा। विशिष्ट योग्यताधारी (पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त) आवेदक को उक्त पदों पर नियोजन में प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदकों की संख्या अधिक होने पर चयन समिति, वैयक्तिक दक्षता परीक्षा (Personal Aptitude Test) ले सकती है।
- साक्षात्कार में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को नियोजित किया जा सकता है। साक्षात्कार में दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा।

7. स्टेट को–ऑर्डिनेटर/जेन्डर को–ऑर्डिनेटर का मानदेय – रू. 40,000/– प्रति माह।

8. एकरारनामा – संविदा आधारित नियोजन के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एवं निदेशक बामेती, बिहार, पटना के बीच एक एकरारनामा किया जायेगा।

9. संविदा के आधार पर अभ्यर्थी का नियोजन एक (01) वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक होने पर पुनः एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर, मूल्यांकन के आधार पर, अभ्यर्थी को सेवामुक्त किया जा सकता है।

10. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुर्ननियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

11. निदेशक, बामेती के प्रतिवेदन के आधार पर नियोजित कर्मियों (State Coordinator तथा Gender Coordinator) को हटाने का अधिकार राज्य मोडल पदाधिकारी (आत्मा योजना) को होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अपील प्रधान सचिव, कृषि/कृषि उत्पादन आयुक्त के स्तर पर की जायेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

12. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगें और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगें। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

13. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (State Coordinator तथा Gender Coordinator) पर प्रशासनिक नियंत्रण **प्रधान सचिव, कृषि/कृषि उत्पादन आयुक्त** का होगा।

14. संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व – कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्गनिर्देश के आलोक में निदेशक बामेती, बामेती कार्यकारिणी समिति, बामेती शासी परिषद, अंतर्विभागीय कार्यसमूह (IDWG) एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नियोजित कर्मियों को करना होगा। संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व राज्य में आत्मा योजना का सफल एवं पारदर्शी कार्यान्वयन होगा।

15. चूंकि सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, अतएव संविदा के आधार पर यह नियोजन तभी तक मान्य होगा जब तक आत्मा योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से आवश्यक निधि (Fund) प्राप्त होती रहेगी।

16. आवेदन पत्र On-line ही स्वीकार किए जाएगें।

17. On-line आवेदन पत्र दिनांक 02 फरवरी से 26 फरवरी, 2015 तक Submit किया जा सकता है।

निदेशक बामेती
बिहार, पटना

पी.आर.-11985 (कृषि) 14-15

सरकारी सेवा जन सेवा का माध्यम है। धर्म-ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।